ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: एफ.2(2)(1)रोल्स/निर्वा/2008/2118 जयपुर, दिनांक 31.5.13

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013– विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के वर्तमान में स्थापित राजस्व ईकाईयों के अनुसार विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आदिनांक नक्शें तैयार करने बाबत्।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्रांक 151 दिनांक 18 जनवरी, 2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रांसगिक पत्र के द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2008 से पूर्व परिसीमन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2006 के अनुसार लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें तैयार करने के विषय में निर्देश जारी किये गये थे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें तैयार करने का काम तत्समय स्टेट रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के द्वारा किया गया था, इन्हीं नक्शों का प्रयोग गत् विधानसभा/लोकसभा आम चुनाव के दौरान किया गया है।

2. विधानसभा आम चुनाव 2008 एवं लोकसभा आम चुनाव 2009 के बाद आदिनांक तक राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनाएँ जारी कर राज्य में नई तहसीलों, राजस्व ग्राम एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के ऐसे राजस्व ग्राम जो कि स्वतंत्रता के बाद एक टापू के रूप में किसी अन्य जिले की सीमा में सम्मिलित थे, उनको इसी जिले में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचनाओं के कारण प्रशासनिक एवं भौगोलिक रूप से यह राजस्व ईकाईयॉ संबंधित जिलों में सम्मिलित कर दी गयी है। चूँकि परिसीमन आयोग की अधिसूचना 25 जनवरी, 2006 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो राजस्व ईकाईयॉ सम्मिलित थी में परिवर्तन किया गया है, के होते हुए भी आगामी परिसीमन तक उक्त राजस्व ईकाईयॉ अधिसूचना 25 जनवरी, 2006 के अनुसार उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सम्मिलित रहेगी, चाहे इनका प्रशासनिक क्षेत्राधिकारी बदल गया हो। अतः ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राजस्व ईकाईयों को ध्यान में रखते हुए

कृपया उ.

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की राजस्व ईकाईयॉ आदिनांक की स्थिति पुनः अभिलिखित किया जाए तथा तद्नुसार विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें तैयार किये जाए।

4. इस विषय में आप कृपया विभाग के पत्र कमांक 3241 दिनांक 03.09.2012 का अवलोकन करें। परिसीमन आयोग की अभिसूचना 2006 के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का जो विवरण अधिसूचना में अंकित किया गया है, उसको वर्तमान राजस्व ईकाईयों के आधार पर आदिनांक करने हेतु सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकरियों से अनुरोध है कि वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आदिनांक नक्शें तैयार करने से पूर्व परिसीमन आयोग

की अधिसूचना 2006 में जो राजस्व ईकाईयों का विवरण दिया गया है में यदि किसी प्रकार का परिर्वतन हुआ है तो तद्नुसार उसे पुनः अभिलेखित किया जाए तथा तद्नुसार ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें तैयार कराए जाए। यहॉ यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि परिसीमन आयोग की अधिसूचना 2006 में जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र के विस्तार में दर्शाये गये है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा चाहें वह वर्तमान में किसी अन्य जिले में स्थानांतरित हो गई है।

5. विधानसभा आम चुनाव से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें आदिनांक तैयार करने के विषय में विभाग द्वारा पुनः स्टेट रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर विचार–विमर्श किया गया है। इस कम में यह निर्णय लिया गया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आदिनांक नक्शें जोधपुर में इसी संस्थान के माध्यम से ही तैयार करवाए जाए। अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) से अनुरोध है कि वह प्रोजेक्ट निदेशक श्री टी0एस0 शर्मा से सम्पर्क कर लें तथा तद्नुसार जिले के प्रतिनिधियों को भेजकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आदिनांक नक्शें तैयार करने के विषय में कार्यवाही करें ताकि विधानसभा आम चुनाव से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आदिनांक नक्शें तैयार किये जा सकें।

6. स्टेट रिमोट सेंसिग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के द्वारा नक्शें आदिनांक करने के बाद इसकी सॉफटकॉपी एवं हार्डकॉपी विभाग के निर्देशानुसार आगामी 2 माह में विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी तथा विभाग स्तर से तद्नुसार सॉफटकॉपी एवं हार्डकॉपी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को विधानसभा आम चुनाव के उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

7. परिसीमन आयोग की अधिसूचना 25 जनवरी, 2006 के अनुसार वर्ष 2008 में राज्य के 24 शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो कि वार्ड के रूप में परिभाषित किए गए है के नक्शे तैयार नहीं करवाए गए थे। उक्त नक्शे वर्तमान में तैयार करवाए जाने है। यह विशेष ध्यान रखा

जाए कि परिसीमन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25.1.2006 के समय शहरी निकायों में वार्ड की जो सीमा थी, उसी के आधार पर विधानसभा क्षेत्र के विस्तार को माना जावेगा। वर्ष 2006 के बाद नगर निगमों के परिसीमन में वार्डो की सीमाएँ बदली होगी, इसलिए वार्ड की सीमा 25 जनवरी, 2006 की स्थिति की मानी जाएगी। इसके बाद परिवर्तित सीमा नहीं मानी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले की टीम के साथ नगर निगम के जानकार कर्मचारियों को भी इस कार्य हेतु नियुक्त करें जिससे शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के दिनांक 25.1.2006 की स्थिति के वार्डो को दर्शाते हुए नक्शे तैयार किए जा सके। ऐसे तैयार किये गये नक्शों के नीचे नोट अंकित किया जाए कि दर्शाई गई वार्ड संख्यांक दिनांक 25.1.2006 की स्थिति के अनुसार है।

कृपया उपरोक्त कार्य दिनांक 30 जून 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.2(2)(1)रोल्स/निर्वा/2008/ 2118 जयपुर, दिनांक 31-5-13

प्रतिलिपि :–

श्री त्रिलोक शंकर शर्मा, प्रोजेक्ट निदेशक, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा सम्पर्क करने पर उनके लिए कार्यक्रम निर्धारित कर नक्शें तैयार करने के विषय में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

ईमेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.2(2)(1) / रोल / निर्वा / 2008 / 151 जयपुर, दिनांक 18.1.2008

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– परिसीमन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2006 के अनुसार लोकसभा / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नक्शें तैयार करने के विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर एवं राज्य में 15 फरवरी, 2004 को स्थापित प्रशासनिक ईकाईयों यथा तहसील, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, पटवार वृत एवं उसके अन्तर्गत सम्मिलित ग्रामों के आधार पर राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है तथा इस विषय में परिसीमन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2006 को अधिसूचना जारी की गयी है।

2. परिसीमन आयोग की अधिसूचना 25 जनवरी, 2006 के अनुसार नवगठित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार के अनुसार नक्शे तैयार किये जाने है। जिलें में स्थापित राजस्व ईकाईयों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार प्रशासनिक ईकाईयों के अनुसार किया है, उसमें कौन–कौन सी तहसीले, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, पटवार वृत और ग्राम सम्मिलित है, इसकी जानकारी के लिए जिले के नक्शें में उसका अंकन किया जाना है। इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कार्य के लिए आप द्वारा परिसीमन आयोग को प्रपत्र डीएल–007 में तहसील, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, पटवार वृत एवं ग्रामवार राजस्व ईकाईयों की सूचना एवं उनके परिपेक्ष्य में वर्ष 2001 की जनगणना की सूचना उपलब्ध करवायी गई थी। इसी प्रकार से आयोग के प्रपत्र डीएल–006 में उक्त सूचना पटवार मण्डल तक संकलित कर तैयार की गई हैं। प्रपत्र डीएल–003 में वर्तमान में स्थापित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (1976 के आदेश के अनुसार) के विस्तार को वर्ष अगस्त 2002 में स्थापित राजस्व ईकाईयों के अनुसार लिखते हुए सूचना उपलब्ध करवायी गई हैं।

3. विभाग द्वारा प्रपत्र डीएल–007 में आप द्वारा राजस्व ईकाईयों के परिपेक्ष्य में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर **रिमोट सेन्सिग एप्लिकेशन सेन्टर, सुभाष नगर, पॉल रोड, जोधपुर** से जिलेवार नक्शें तैयार करवाये गये है। नक्शें में जिलें में स्थापित तहसील, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, पटवार वृत एवं राजस्व ग्रामों का अंकन किया गया है।

3.1 प्रपत्र डीएल–007 में जिले में प्रस्तुत विभिन्न राजस्व ईकाईयों की सूचना अगस्त, 2002 की स्थिति के अनुसार हैं। राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 2002 से फरवरी, 2006 तक राज्य में किसी भी राजस्व ईकाई का नवीन सृजन नहीं किया गया हैं। विभाग की जानकारी के अनुसार फरवरी, 2006 के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कई जिलों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किए गए है तथा उदयपुर जिलें में कुछ पटवार वृतों को एक तहसील से दूसरी तहसील में सम्मिलित किया गया हैं। तद्नुसार नक्शे में शुद्धि की जाना वांछनीय हैं। परन्तु यह ध्यान रखे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन 15 फरवरी, 2004 को अस्तित्व में प्रशासनिक इकाईयों के अनुसार ही रहेगा। इसके साथ–साथ इस नक्शें में वर्तमान में स्थापित (1976 में आदेशानुसार प्रपत्र डीएल–003 में उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को लाल लाईन से एवं परिसीमन आयोग की अधिसूचना 25 जनवरी, 2006 के द्वारा नवगठित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को विभिन्न रंगों में दर्शाया गया है।

3.2 उक्त संस्थान द्वारा जिले का नक्शा आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ही तैयार किया गया है किन्तु सही नक्शा तैयार करने के लिए इस नक्शें की जिला स्तर पर गहनता से जॉच की जाने की आवश्यकता है जिससे की त्रुटि होने पर तद्नुसार इसे संशोधित कर शत–प्रतिशत जिले का विशुद्ध नक्शा तैयार किया जा सकें।

4. **आपके जिले से संबंधित नक्शें की 2 प्रतियॉ स्टेट रिमोट सेन्सर एपलिकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा एक सप्ताह में सीधे ही आपको उपलब्ध करवाई जा रही है।** इस नक्शे में निम्न प्रकार से राजस्व ईकाईयों एवं नवीन एवं वर्तमान में स्थापित विधानसभा क्षेत्रो को दर्शाया गया है :–

4.1 इस नक्शें में तहसील की सीमा को बैंगनी कलर की निरन्तर लाईन से दर्शाया गया है तथा तहसील मुख्यालय का नाम लिखते हुए (T) को सर्किल में दर्शाया गया है। इसको अलग लिजेंड से नक्शे में दर्शाया गया हैं।

4.2 भू–अभिलेख निरीक्षक वृत की सीमा को हरी निरन्तर रेखा से दर्शाया गया है तथा मुख्यालय को (R) से सर्किल में दर्शाया गया है। इसको अलग लिजेंड से नक्शे में दर्शाया गया हैं।

4.3 पटवार वृत की सीमा को सफेद निरन्तर रेखा से दर्शाते हुए पटवार मुख्याालय को (P) से सर्किल में दर्शाया गया है। इसको अलग लिजेंड से नक्शे में दर्शाया गया हैं।

4.4 ग्राम की सीमा को नक्शें में काली निरन्तर रेखा से दर्शाया गया है तथा ग्राम का नाम भी अंकित किया गया है।

4.5 उपरोक्त प्रकार से जिले में स्थापित राजस्व ईकाईयों का अंकन करने के बाद नक्शें में वर्तमान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को लाल मोटी निरन्तर रेखा से दर्शाया गया है।

4.6 परिसीमन आयोग की 25 जनवरी, 2006 की अधिसूचना के अनुसार पुर्नगठित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है।

5. नक्शे की जॉच :–

5.1 **रिमोट सेन्सिग एप्लिकेशन सेन्टर, जोधपुर** से नक्शा प्राप्त होने पर इसकी जॉच का कार्य जिला स्तर पर इस कार्य के जानकार अनुभवी कर्मचारियों की एक टीम गठित कर करवाया जाना हैं। नक्शें की जॉच करते समय यह देख ले कि आपके जिले में स्थापित सभी तहसीले इस तहसील में सम्मिलित सभी भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत में सम्मिलित सभी पटवार वृत एवं पटवार वृत में सम्मिलित सभी राजस्व ग्राम इस नक्शें में अंकित किये गये है या नहीं। यदि कोई ग्राम या अन्य राजस्व ईकाई छूट रही है तो तद्नुसार संशोधित किया जाए।

5.2 जैसा कि पैरा 3.1 में बताया गया है कि राज्य में परिसीमन का कार्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये गये है अतः उक्त नवीन राजस्व ग्रामों को भी भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस नक्शें में दर्शाया जाए जिससे कि सम्पूर्ण जिले के परिपेक्ष्य में आदिनांक नक्शा तैयार हो सके।

5.3 जिला स्तर पर नक्शे की जॉच का कार्य 7 दिवस में पूर्ण कर लिया जाए जिससे की विभाग एवं निदेशक रिमोट सेन्सिग एपलिकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा निर्धारित तिथियों पर जिले से 1–2 अनुभवी जानकर कर्मचारी को भेजकर चिन्हित किए गये संशोधनों के अनुसार नक्शा ठीक करवा लिया जाए। तिथियो के विषय में जानकारी यथाशीघ्र आपको प्रेषित कर दी जायेगी।

6. रिमोट सेसिंग सस्थान द्वारा जिन संभागीय आयुक्त जिलो यथा अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार में शहरी निकायो यथा वार्ड का उल्लेख किया है के नक्शे तैयार नहीं किए गये हैं। इस विषय में संस्थान स्तर पर कार्यवाही की जा रही है इसलिए इसमें अभी समय लगेगा। अतः वर्तमान में जिला स्तर पर उपरोक्त जिलों की शहरी विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों के सीमांकन हेतु स्थानीय निकाय से नक्शे प्राप्त कर नक्शा तैयार करने की कार्यवाही की जाए।

7. चूँकि उक्त नक्शा कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है इसलिए उक्त नक्शा एक बार सही रूप से तैयार हो जायेगा तो इसका विभिन्न परियोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। उदाहराणार्थ नये परिसीमन के अनुसार नवगठित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को तैयार करने का जब कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तो उक्त नक्शें का उपयोग वर्तमान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में

स्थापित मतदान केन्द्रों का अंकन करते हुए इसका विभाजन नये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में करने तथा नये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले मतदान केन्द्रों के पुनः नम्बर डालने में किया जायेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पुरानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का कोई भी मतदान केन्द्र छूटा तो नहीं है। इसी प्रकार से चुनाव के समय भी इस नक्शें का विभिन्न कार्यो के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

8. जैसा कि उपर उल्लेखित किया गया है कि उक्त कार्य स्टेट रिमोट सेंसिग एप्लिकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा किया जा रहा है, **इसलिए इस संस्थान के निदेशक श्री नंदलाल कालरा से समय–समय पर आप द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। इनके कार्यालय दूरभाष नम्बर 0291–2785105, 2786480 एवं फैक्स नं0 0291–2785531 है।**

कृपया उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार नक्शें की जॉच का कार्य निर्धारित समय में करवाकर इसे यथाशीघ्र तैयार करने का श्रम करावें।

(पी. सी. गुप्ता)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.2(2)(1)/रोल/निर्वा/2008/151 जयपुर, दिनांकः 18.1.2008

प्रतिलिपि :– श्री नंदलाल कालरा, निदेशक स्टेट रिमोट सेंसिग एप्लिकेशन सेन्टर, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि नक्शे की 2–2 प्रतियॉ 7 दिवस में संबंधित जिलें में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।